REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934
No. 366] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 575(अ).—ओषधि और प्रसाधन सामग्री सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा यथापेक्षित कतिपय नियमों का प्रारूप भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 853(अ) तारीख 1 दिसम्बर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 7 दिसम्बर, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 43-अ में " भारत में समुद्रमार्ग द्वारा आयातित ओषधि की बाबत : चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोचीन, न्हावा शेवा, कांडला और अंतर्देशीय कंटेनर डिपों तुगलकाबाद और पटपड़गंज, दिल्ली और तमिलनाडु में तूतीकोरिन । भारत में वायुमार्ग द्वारा आयातित ओषधि की बाबत : चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद" शब्दों के स्थान पर "भारत में समुद्रमार्ग द्वारा आयातित ओषधि की बाबत : चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोचीन, न्हावा शेवा, कांडला और अंतर्देशीय कंटेनर डिपों तुगलकाबाद और पटपड़गंज, दिल्ली, तमिलनाडु में तूतीकोरिन और गोवा में मार्मुगाव बंदरगाह । भारत में वायुमार्ग द्वारा आयातित ओषधि की बाबत : चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा और बंगलुरू" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. एक्स-11014/4/2011-डीएफक्यूसी]

अरूण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में असाधारण संख्यांक एफ. 28-10/45-एच(1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 76(अ), तारीख 8-2-2012 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

G.S.R. 575(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, were published, as required by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), vide notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), number GSR 853(E), dated the 1st December, 2011, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st December, 2011, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 7th December, 2011;

And whereas, objections and suggestions received in respect of the said drat rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:-

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (4th Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 43-A, for the words "Chennai, Kolkata, Mumbai, Cochin, Nhava Sheva, Kandla and Inland Container Depots at Tuglakabad and Patparganj, Delhi and Tuticorin in Tamil Nadu: in respect of drugs imported by sea into India. Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi, Ahmedabad and Hyderabad: in respect of drugs imported by air into India.", the words "Chennai, Kolkata, Mumbai, Cochin, Nhava Sheva, Kandla, Inland Container Depots at Tuglakabad and Patparganj in Delhi, Tuticorin in Tamil Nadu and Marmugao port in Goa: in respect of drugs imported by sea into India. Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Hyderabad, Goa and Bengaluru: in respect of drugs imported by air into India." shall be substituted.

[F. No. X-11014/4/2011-DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification No. F. 28-10/45-H(1), dated 21st December, 1945 and last amended *vide* number G.S.R. 76(E) dated the 8th February, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.